भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2277

दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 के लिए प्रश्न

बूढ़े और आवारा पशु

2277. श्री अजय निषाद:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बड़ी संख्या में बूढ़े पशु हैं जो अपने मालिकों पर बोझ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने बूढ़े और आवारा पशुओं की संख्या को कम करने और उनके मालिकों के बोझ को कम करने हेतु कोई कदम उठाया है/उठाने का विचार है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग़) भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अनुसार, पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण; पशु चिकित्सा प्रशिक्षण एवं व्यवसाय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए राज्यों के पास कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के अनुसार, स्थानीय नगर पालिका गोपशु अहातों और पिंजरापोल के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, राज्य आवारा गोपशुओं को रखने के लिए पंचायतों को गोपशु अहाते (कांजी गृह)/गौशाला आश्रय गृह (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और चलाने के लिए सक्षम बनाएंगे। कई राज्यों ने आवारा गोपशुओं के लिए गौशालाओं और आश्रय गृहों की स्थापना की है और उन पशुओं के चारे की व्यवस्था की है।

उपर्युक्त संवैधानिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य को आवारा पशुओं पर उचित कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा, भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड (एडब्ल्यूबीआई) ने 12 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवारा पशुओं पर परामर्शी जारी की है। एडबल्यूबीआई भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए बजट से

पशुओं की देखभाल करने के लिए आवारा गोपशुओं को रखने वाले संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करता है।

इसके अतिरिक्त, अनुत्पादक पशुओं का उपयोग करने के लिए दुग्ध रहित(ड्राई) डेयरी को बढ़ावा दिया जाता है। एडब्ल्यूबीआई विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए गोपशुओं के गोबर और मूत्र के उचित उपयोग के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चला रहा है ताकि गौ आश्रयों/गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा सके जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि बूढ़े और अनुत्पादक पशु आवारा न रहें।

साथ ही, अनुत्पादक मादा पशुओं को भ्रूण अंतरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से बछड़ों व बछड़ियों के उत्पादन के लिए सरोगेट माता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। गोपशुओं के संरक्षण पर सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की गई है।

प्राय: नर गोपशु किसानों के लिए उपयोगी नहीं होते हैं और इसलिए उन्हें आवारा पशुओं के रूप में लावारिस छोड़ दिया जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार गोपशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स सार्टेड सीमेन तकनीक लागू कर रही है। यह तकनीक केवल बछड़ियों को पैदा करने में मदद करेगी जिससे कि समय के साथ नर गोपशुओं की संख्या कम हो जाएगी।

****